

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 6004759

पटना, दिनांक 30.07.26

ग्रा0वि0-15-(स्वच्छता)-03/2020

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,  
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

विषय : - वित्तीय वर्ष 2026-27 में "लोहिया स्वच्छता योजना-2" अन्तर्गत 1004.52 लाख (दस करोड़ चार लाख बावन हजार) रुपये का आवंटन।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 5966749 दिनांक- 23.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष- 2026-27 में लोहिया स्वच्छता योजना- 2 अंतर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 5966749 दिनांक- 23.07.2026 द्वारा कुल राशि रू0 1004.52 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है तदनुसार स्वीकृत राशि की निकासी हेतु वित्तीय वर्ष- 2026-27 में लोहिया स्वच्छता योजना- 2 अंतर्गत कुल राशि रू0 1004.52 लाख आवंटित की जाती है ।

2. आवंटित कुल राशि रू0 1004.52 लाख (दस करोड़ चार लाख बावन हजार) की निकासी विभागीय मांग संख्या 42 के अंतर्गत निम्नांकित बजट शीर्षों के अंतर्गत विकलनीय होगी:-

| शीर्ष                                                                                                                                                                             | इकाई                   | राशि        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई, लघु शीर्ष-105-सफाई सेवाएं, उप शीर्ष-0104-लोहिया स्वच्छता योजना-2-सात निश्चय-2, विपत्र कोड 42-2215021050104 | 3104-सहायक अनुदान-वेतन | 1004.52 लाख |
|                                                                                                                                                                                   | कुल                    | 1004.52 लाख |

3. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593 वि0(2) दिनांक-27.11.2007 में निहित प्रावधान के अंतर्गत की जायेगी।

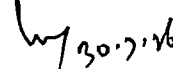
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवंटित राशि की निकासी करते हुए BRLPS-LOHIYA SWACHHATA YOJANA, के ICICI Bank Ltd, Exhibition Road Branch, Patna, IFSC Code- ICIC0006259, खाता संख्या- 625901143299 में विमुक्त किया जायेगा। आवंटित राशि का लेखा जोखा, रोकड़ बही आदि का संधारण जीविका, बिहार पटना द्वारा अलग से किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों/ परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि व्यय की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355वि (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

7. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

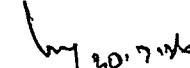
  
(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 6004759

पटना, दिनांक 30.07.26

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 6004759

पटना, दिनांक 30.07.26

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 6004759

पटना, दिनांक 30.07.26

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जीविका/ आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/ विभागीय लेखा शाखा/ विभागीय बजट शाखा/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव